

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.—30ए/2017  
संस्थित दिनांक —08.07.2016

रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति खटीक उम्र 63 साल  
पेशा खेती, निवासी हाटका पुरा मोहल्ला चंदेरी,  
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

1. जिला वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल,  
जिला अशोकनगर, म0प्र0
2. वन परिक्षेत्राधिकारी, वन परिक्षेत्र चंदेरी कटरा बाजार चंदेरी,  
जिला अशोकनगर म0प्र0
3. जिलाधीश, जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

/// निर्णय ///

:: आज दिनांक 28.10.2017 को पारित ::

- 01— यह वाद ग्राम बेहटी परगना चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 7/1 रकबा 1.000 हैक्टेयर भूमि जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर स्वत्व घोषणा की सहायता के साथ प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा साथ प्रतिवादी क्रमांक—1 व 2 की ओर से उक्त भूमि वन भूमि दर्शाते हुये वन विभाग के कक्ष क्रमांक R.F. 148 अंतर्गत पुराना लडैयाखेडा मौजा में स्थित बताते हुये उक्त भूमि को वन भूमि घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित वादी को उक्त भूमि में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

- 02— वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि राजस्व विभाग के द्वारा तहसील चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 80अ-19/75-76 दिनांक 26.07.1976 में विधिवत् पट्टे पर प्रदान की गई थी और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया था। वादी का 50 वर्षों से निरंतर विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य है तथा उक्त भूमि के पास अन्य कास्तकारों की भूमियां हैं, जिनका प्रतिवादीगण से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी वन विभाग के कर्मचारी वादी के स्वत्व की भूमि को अपनी बताकर उसे विवादित भूमि से बेदखल करने के प्रयास में हैं। दिनांक 10.05.2016 को वादी जब विवादित भूमि को ट्रैक्टर से जुतवाने के लिये गया था, तो 15-20 वनकर्मि मौके पर आये और वादी को कब्जा छोड़ने की धमकी देने लगे, जिससे दिनांक 10.05.2016 को वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ। जिसके पश्चात् वाद मूल्य 10,000/- रुपये पर कायम करके 600/- कुल न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक-1 की वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत् यह वाद प्रस्तुत किया गया है।
- 03— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दावे का जबाब एवं प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि बीट सौतेर के अंतर्गत वन विभाग के कक्षा क्रमांक R.F. 148 अंतर्गत पुराना लडैयाखेडा में स्थित है। उक्त भूमि वन भूमि होने के कारण राजस्व विभाग उक्त भूमि का पट्टा देने के लिये अधिकृत नहीं है तथा पट्टा देने से पूर्व वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया, जिसके कारण कथित पट्टा अवैधानिक होकर शून्य है। वादी का विवादित भूमि पर 50 वर्षों में आज दिनांक तक कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि वन भूमि होकर वन विभाग के आधिपत्य की भूमि है। वादी वानिकी कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। वादी के द्वारा उचित न्यायशुल्क बाजार मूल्य के साथ अदा नहीं किया गया है, जिससे दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 04— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से प्रतिदावा के अनुसार विवादित भूमि वन भूमि है, जिससे वादी का कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा तथाकथित पट्टा दिनांक-26.07.1976 वन भूमि का नहीं है उक्त भूमि पर वानिकी कार्य प्रस्तावित हैं। दिनांक 10.07.2016 को प्रतिवादीगण के द्वारा जांच कर G.P.S. रीडिंग ली गई, जिससे उक्त भूमि पूर्ण रूप से वन भूमि होना पाया गया, जिसका पंचनामा मौके पर बनाया गया। प्रतिदावे का प्रतिवादकारण दिनांक-10.07.2016 को उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् निर्णय के चरण क्रमांक-1 में वांछित सहायता प्राप्त करने बाबत् यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया।

05— वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे का जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक R.F. 148 के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि भूमि सर्वे क्रमांक-7/1 पर निरंतर कब्जा चले आने के कारण वादी को तहसील चंदेरी से विधिवत् पट्टा प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि से वन विभाग को कोई संबंध नहीं है, और न ही वन विभाग को उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कर शासकीय कार्य करने का अधिकार है। वादी ने विवादित भूमि को काबिल कास्त बनाया है। मौके पर कोई जंगल नहीं है मात्र नक्शा और G.P.S. रीडिंग के आधार पर वादी की भूमि वन भूमि प्रकट नहीं होती है। प्रतिदावा अवधि वाधित है जिसे निरस्त किये जाने की सहायता चाही।

06— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या ग्राम बेंहटी, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 7/1 रकबा 1.000 हेक्टेयर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वादी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन पर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या बीट सौतेर के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 148 के अंतर्गत पुराना लडैयाखेडा मौजा में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श में लाल रंग से दर्शाया गया है, वादग्रस्त भूमि है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	क्या वादी द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।

7.	क्या प्रतिवादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
8.	क्या प्रतिदावा अवधि में है ?	प्रमाणित है।
9.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 27 अनुसार प्रदान किया गया।

**—सकारण निष्कर्ष:—**

**वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

07— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य को पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। वादी के अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-7/1 स्थित ग्राम बेहटी उसे राजस्व विभाग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 80अ-19/75-76 में पारित आदेश दिनांक 26.07.1976 के द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी तथा विगत 50 वर्षों से उक्त भूमि पर वादी का निरंतर कब्जा होने से स्वत्व व अधिपत्य है। जबकि प्रतिवादी वन विभाग के अनुसार उक्त भूमि राजस्व भूमि न होकर वन भूमि है, जो कि वन भूमि के बीट सौतेर के कक्ष क्रमांक R.F. 148 अंतर्गत पुराना लडैयाखेडा मौजे का अंश भाग है। अतः उभयपक्षों के अभिवचनों से सर्व प्रथम तो इसी संबंध में विवाद की स्थिति है कि वास्तव में विवादित भूमि राजस्व की भूमि है अथवा वन भूमि है, जो किसी निष्कर्ष पहुंचने से पहले अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर ज्ञात किया जाना आवश्यक है।

08—वादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में स्वयं वादी रामस्वरूप (व0सा0-1) सहित विवादित भूमि पर कब्जे के साक्षी लाखन (व0सा0-2) व दीवान सिंह (व0सा0-3) के कथनों सहित विवादित भूमि के संबंध में तथाकथित पट्टा प्रदर्श-पी-1 व राजस्व खसरो की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-पी-5 लगायत 9 एवं भूमि अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श-पी-2 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है वहीं प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से अपने समर्थन में परिक्षेत्र सहायक अशरफ खान (प्र0सा0-1) के कथनों सहित विवादित भूमि के संबंध में परिक्षेत्र सहायक अशरफ खान (प्र0सा0-1) के द्वारा तैयार किया गया पंचनामा प्रदर्श-डी-1 सहित विवादित भूमि से संबंधित वन विभाग का सर्वे ऑफ

इण्डिया के नक्शों की छायाप्रति प्रदर्श-डी-2 एवं टोपो शीट प्रदर्श-पी-3 सी प्रस्तुत की है, जो मूल से मिलान कर प्रदर्शित की गई।

09—रामस्वरूप (व0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-7/1 राजस्व की भूमि है जो उसे पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जिससे वन विभाग कर कोई संबंध नहीं है। सर्वे क्रमांक-7/1 को राजस्व के खसरो में दर्शित करने वादी की ओर से राजस्व खसरो की सत्यप्रतिलिपि व भू-अधिकार व ऋण पुस्तिका प्रकरण में प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-7/1 को राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व की शासकीय कदीम भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में वर्तमान तक दर्शित किया जा रहा है, उक्त भूमि वन भूमि है या वन विभाग को प्रदान की गई भूमि है, इसका उल्लेख वादी को प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से परिक्षण कराये गये साक्षी परिक्षेत्र सहायक अशरफ खां (प्र0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका-2 में स्वयं यह कहना है कि विवादित भूमि का आज तक सीमांकन नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त भूमि किसकी भूमि है। अतः प्रतिवाद पत्र एवं प्रतिदावे में जहां विवादित भूमि को वन भूमि होने के अभिवचन किये गये हैं उसके विपरीत परिक्षेत्र सहायक अशरफ खान (प्र0सा0-1) स्वयं यह स्वीकार करता है कि विवादित भूमि के वन भूमि होने के संबंध में वह स्वयं ही निश्चित नहीं है। यहीं साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में अभिवचनों के विपरीत यह कहता है कि वादी का वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-10 में इस साक्षी का कहना है कि सर्वे क्रमांक 7/1 से उसे कोई मतलब नहीं है।

10—परिक्षेत्र सहायक अशरफ खां (प्र0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन अभिवचनों के विपरीत है तथा यह साक्षी स्वयं ही अपने न्यायालीन कथनों में वादी के द्वारा दर्शायी गई, भूमि के संबंध में वन विभाग के दावे को खारिज करता है। अशरफ खां (प्र0सा0-1) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में सर्वे क्रमांक-7/1 वन भूमि होना बताता है, वही प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-10 में उक्त सर्वे क्रमांक-1 से वन विभाग को कोई मतलब न होना बताता है अतः वादी के द्वारा दावे में दर्शाई गई भूमि वास्तव में वन भूमि है, इस संबंध में अशरफ खान (प्र0सा0-1) के कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति है। वन विभाग की ओर से शासन का ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया और अभिवचनों में इसका उल्लेख किया गया, तो राजस्व अभिलेखों में दर्शित हो रही भूमि क्रमांक-7/1 वन भूमि की होना दर्शित करती हो।

11—विवादित भूमि वन भूमि है, इसके संबंध में परिक्षेत्र सहायक अशरफ खां (प्र0सा0-1) की मौखिक साक्ष्य विरोधाभासी होने से एवं स्वयं उसके द्वारा यह स्वीकार कर लेने से की सीमांकन न होने से वह यह कहने की स्थिति में नहीं है कि विवादित भूमि वास्तव में किसकी है, के आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य यह साबित करने के लिये लेषमात्र भी विश्वसनीय नहीं है कि विवादित भूमि वन भूमि है। वन विभाग की ओर से प्रकरण में प्रदर्श-डी-1 का पंचनामा जो इसी साक्षी के द्वारा तैयार किया गया है तथा विवादित भूमि की G.P.S. रीडिंग यह साक्षी मौके पर जाकर लेना अपने मुख्यपरीक्षण के कथनों में बताता है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में जहां G.P.S. रीडिंग क्या ली गई तथा उक्त G.P.S. रीडिंग से यह कैसे दर्शित हो रहा है कि विवादित भूमि वन भूमि है यह साक्षी स्पष्ट नहीं कर सका। यहां तक की इस साक्षी को G.P.S. का अर्थ ही नहीं मालूम है। अतः ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य से पंचनामा प्रदर्श-डी-1 की अंतरवस्तु साबित नहीं होती है। पंचनामा प्रदर्श-डी-1 अपने आप में इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं है कि उसमें उल्लेखित G.P.S. रीडिंग विवादित भूमि की है तथा उक्त भूमि वन भूमि है। प्रदर्श-डी-1 की अंतर वस्तु को अशरफ खां (प्र0सा0-1) के द्वारा मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना था, परन्तु परिक्षेत्र सहायक अशरफ (प्र0सा0-1) की साक्ष्य से प्रदर्श-डी-1 की दस्तावेज एवं उसकी अंतरवस्तु प्रमाणित नहीं होती है।

12—वन विभाग की ओर से सर्वे ऑफ इण्डिया प्रदर्श-डी-2 व टोपी शीट प्रदर्श-डी-3 सी अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई है, जिसमें विवादित भूमि को कक्ष क्रमांक R.F. 148 में चिह्नित किया गया है, परन्तु मात्र नक्शों में आफ एफ 148 के कुछ भाग को लाल स्याही से चिह्नित कर देने से यह प्रमाणित नहीं हो सकता है कि उक्त भूमि ही विवादित भूमि है, जो राजस्व के खसरो में सर्वे क्रमांक-7/1 से दर्शायी गई है। विवाद उत्पन्न होने के पश्चात् वनकर्मियों के द्वारा राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में सर्वे क्रमांक-7/1 का सीमांकन कराने के साथ साथ मौके पर सीमांकन की गई भूमि की G.P.S. रीडिंग ली जानी थीं तथा साथ अभिलेख पर कक्ष क्रमांक-148 की भी सीमाओं की G.P.S. रीडिंग ली जाकर यह प्रमाणित करना था, कि क्रमांक-148 की G.P.S. रीडिंग के अंतर्गत ही सीमांकन किये जाने सर्वे क्रमांक-7/1 की G.P.S. रीडिंग आती है, जिससे मौके की स्थिति विवादित भूमि वन भूमि है, स्पष्ट होती है, परन्तु वन विभाग के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई और न ही इस संबंध में मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। अतः ऐसे में सर्वे प्रथम तो अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि बीट सौतेर के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 148 के अंतर्गत पुराना लडैयाखेडा मौजा में स्थित भूमि, जिसे वन विभाग के अक्श में लाल रंग से दर्शाया गया है, वादग्रस्त भूमि है। जिसके आधार पर वाद

**प्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

13- उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि वन भूमि होना या वन भूमि के कक्ष क्रमांक-148 का अंश भाग होना साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं है जबकि प्रस्तुत राजस्व खसरा प्रदर्श-पी-5 लगायत 9 के अनुसार राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे क्रमांक-7/1 को राजस्व की भूमि के रूप में विगत कई वर्षों से दर्शित किया जा रहा है अतः विवादित भूमि राजस्व की भूमि है, यह वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार सर्वे क्रमांक-7/1 की भूमि वादी को राजस्व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 80-अ-19/75-76 में पारित आदेश दिनांक-26.07.1976 के द्वारा विधिवत् पट्टे पर प्रदान की गई। जिसके संबंध में वादी की ओर से प्रदर्श-पी-1 का पट्टा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। यह उल्लेखनीय है कि अभिवचन अपने आप में साक्ष्य नहीं होती है उसे साक्षियों को न्यायालय में कथन देकर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित करना होता है। वादी ने अपने अभिवचनों में विवादित भूमि का पट्टा राजस्व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 80-अ-19/75-76 में पारित आदेश दिनांक-26.07.1976 में प्राप्त होना तो बताया है परन्तु न्यायालय में दिये गये मुख्यपरीक्षण की सशपथ कथनों एवं प्रतिपरीक्षण में वादी रामस्वरूप (व0सा0-1) ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये।

14-रामस्वरूप (व0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में यह कहता है कि उसे राजस्व की जमीन का पट्टा हुआ था जो कि वर्ष-1976 में हुआ था, परन्तु राजस्व के किस प्रकरण में किस दिनांक को किस अधिकारी के द्वारा उक्त पट्टा प्रदान किया गया। यह रामस्वरूप (व0सा0-1) अपने संपूर्ण परीक्षण में बताने में असमर्थ रहा है बल्कि उसके विपरीत प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में इस साक्षी का कहना है कि उसे पट्टा पटवारी के द्वारा प्रदान किया गया था। जबकि पटवारी को पट्टा प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है। विवादित भूमि के संबंध में मौके पर कब्जा प्रदान करते हुये कोई पंचनामा नहीं बना तथा अब उस भूमि का सीमाकनन तक नहीं हुआ, यह स्वयं वादी अपने कथनों में स्वीकार करता है। वादी रामस्वरूप (व0सा0-1) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-11 में कहना है कि उसने अब तक विवादित भूमि का लगान नहीं दिया तथा वर्ष-1976 से विवादित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में फसल की प्रविष्टि नहीं है जो कि उसने वर्ष-2017 में कराई। वादी के द्वारा विवादित भूमि का लगाने अदा किये का उल्लेख ऋण पुस्तिका प्रदर्श-पी-2 में नहीं है।

- 15— रामस्वरूप (व0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में विवादित भूमि की चौहदी तक स्पष्ट नहीं कर सका। वहीं यह साक्षी पूर्व दिशा में लखन का खेत और पश्चिम दिवान का खेत होना बताता है, परन्तु स्वयं उसकी ओर से परीक्षण कराये गये कब्जों के साक्षी दीवान सिंह (व0सा0-3) के कथन इस साक्षी के कथन के विपरीत होकर इस साक्षी का कहना है कि पूर्व दिशा की ओर बावला का खेत है तथा पश्चिम में का खेत है। लाखन सिंह (व0सा0-2) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि सर्वे क्रमांक-7 का पश्चिम दिशा की ओर अंतिम खेत वादी का है तथा उसके बाद लडैयाखेडा का मौजा लगा है। लाखन सिंह (व0सा0-2) के अनुसार वादी के खेत की मेढ से लडैया खेडा के मौजे की मेढ लगी हुई है परन्तु स्वयं वादी रामस्वरूप (व0सा0-1) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में यह कहता है कि उसने लडैयाखेडा का नाम तक नहीं सुना।
- 16— रामस्वरूप (व0सा0-1) के द्वारा विवादित भूमि का आज दिनांक तक न तो सीमांकन कराया गया और न ही कोई लगान अदा किया गया। वादी स्वयं विवादित भूमि के स्थिति मौके पर क्या है, यह स्पष्ट करने में अपने कथनों में असफल रहा है। वहीं वादी की ओर कब्जों के साक्षी लाखन (व0सा0-2) व दीवान सिंह (व0सा0-3) विवादित भूमि के आसपास के कृषक नहीं हैं तथा लाखन सिंह (व0सा0-2) सौतेर का निवासी है। वहीं दीवान सिंह (व0सा0-3) सतपईया का रहने वाला है। यह दोनों साक्षी मौके पर किस भूमि पर खेती कर रहे हैं, यह भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, वही एक ओर मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 6 में इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि वन विभाग के कर्मचारी विवादित भूमि पर आये दिन बाधा उत्पन्न करते हैं, परन्तु यह दोनों ही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार करते हैं कि वनकर्मों उनके सामने कभी भी मौके पर नहीं हैं। अतः वादी रामस्वरूप (व0सा0-1) सहित लाखन सिंह (व0सा0-2) व दीवान सिंह की मौखिक साक्ष्य इस संबंध में विश्वसनीय नहीं है कि राजस्व अभिलेखों में सर्वे क्रमांक-7/1 के रूप में दर्शित हो रही भूमि पर वादी वर्ष-1976 के पूर्व से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है।
- 17— जहां तक वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी की ओर से प्रदर्श-पी-5 लगायत 9 के खसरे की सत्यप्रतिलिपि सहित प्रदर्श-पी-2 की भू-अधिकारी एवं ऋण पुस्तिका सर्वे क्रमांक-7/1 पर अपना स्वामित्व व अधिपत्य साबित करने के लिये प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में विधि स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टि स्वत्व का प्रमाण नहीं होती है। स्वत्व को साबित करने के लिये स्वत्व का मूल अभिलेख प्रस्तुत कर उसे प्रमाणित किये जाना आवश्यक है। विवादित भूमि पर



वादी ने अपने स्वत्व का साबित करने के लिये प्रदर्श-पी-1 व 10 के दो पट्टे प्रस्तुत किये हैं, परन्तु उक्त पट्टे किस राजस्व अधिकारी के द्वारा किस प्रकरण में प्रदान किये गये, यह कहीं वादी ने अपने कथनों में स्पष्ट नहीं किया है। यहां तक कि प्रदर्श-पी-10 के पट्टे के संबंध में कोई अभिवचन तक दावे में नहीं है। जिससे अभिवचनों के अभाव में इन संबंध में दी गई साक्ष्य, साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

18— यहां उल्लेखनीय है कि किसी भी लोकसेवक के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया, प्रत्येक दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है जब तक की भी साक्ष्य अधिनियम की धारा-74 में पारिभाषिक किये गये दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आता है। प्रदर्श-पी-1 व 10 के दस्तावेज यदि यह मान भी लिया जावे कि तहसील न्यायालय के किसी प्रकरण में पारित किये गये आदेश के पालन में जारी किये गये, तब भी उक्त प्रदर्श-पी-1 व 10 के दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है। लोक दस्तावेज वो अभिलेख होगा जिसमें प्रदर्श-पी-1 व 10 के अंतर्गत दिये गये अधिकारों का उल्लेख हो। प्रदर्श-पी-1 व 10 के दस्तावेज यदि यह मान भी लिया जावे, कि राजस्व अधिकारी के द्वारा जारी किये तो उक्त दस्तावेज मूल अभिलेख के आधार पर जारी किया गया प्रमाणिकरण से अधिक कुछ नहीं है। जिससे उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज न होकर वह प्रकरण जिनमें पट्टे जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया वह लोक दस्तावेज है।

19— अतः यदि प्रदर्श-पी-1 व 10 के दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते हैं तो उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा-67 के तहत साबित किया जाना था तथा वादी को वास्तव में पट्टा प्रदान किया गया इसके संबंध में मूल अभिलेख प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज का निष्पादन प्रमाणित करना था। प्रदर्श-पी-1 एवं 10 पर मात्र प्रदर्श अंकित होने के अलावा यह तक साबित नहीं किया गया कि उक्त दस्तावेज किस प्रकरण में किस अधिकारी के द्वारा जारी किये गये। यहां तक उक्त दस्तावेजों के आधार पर वास्तव में वादी का विवादित भूमि पर नामांतरण भूमि स्वामी के रूप में किया गया, ऐसा कोई राजस्व अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी की ओर से प्रदर्श-पी-12 वर्ष 1986-87 के दायरा पंजी की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उक्त दस्तावेज में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि तहसील न्यायालय के किस प्रकरण में पारित आदेश से वादी को विवादित भूमि पर भूमि स्वत्व प्रदान किये गये। वादी की ओर से प्रस्तुत समस्त राजस्व खसरो में कब्जेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज है, जबकि यदि वास्तव में वादी को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हुये होते तो विवादित भूमि के संबंध में उसके स्वत्व

की प्रविष्टि राजस्व खसरो के कॉलम नंबर-4 में की गई होती।

- 20— वादी को विवादित भूमि का पट्टा राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया गया यह अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। राजस्व खसरो में वादी का नाम विवादित भूमि पर भले ही कब्जेदार के रूप में दर्शित हो रहा हो परन्तु वादी के द्वारा अब तक विवादित भूमि का सीमाकन न कराया जाना एवं विवादित भूमि का कोई लगान अदा न करने के साथ उक्त भूमि पर कब्जे के संबंध में प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य किसी भी दृष्टि से विश्वसनीय नहीं है जिससे विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व एवं अधिपत्य दोनों ही प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 1 का प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक-2, 3, 6 व 7 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-**

- 21— विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-7/1 राजस्व की भूमि होकर वन भूमि न होना अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होती है तथा उक्त भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का दोनों का ही स्वत्व व आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। जिससे वादी तथा प्रतिवादीगण को इस संबंध में यह प्रमाणित नहीं होता है कि वह दोनों एक दूसरे की भूमि पर हस्तक्षेप कर अतिक्रमण कर रहे हैं। वादी तथा प्रतिवादीगण क्रमांक-1 व 2 का विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित नहीं होने से उनको एक-दूसरे के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2, 3, 6 व 7 प्रमाणित न होने से उनका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक 4, 8 व 9 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-**

- 22— प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा वाद मूल्य 10,000/- रुपये पर कायम करते हुये 500/- रुपये न्यायशुल्क स्वत्व घोषण हेतु एवं 100/- रुपये न्यायशुल्क स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वाद का मूल्य बाजार मूल्य पर निर्धारित न करते हुये वादी के द्वारा कम न्यायशुल्क अदा किया गया।

- 23— वादी के द्वारा स्वत्व घोषणा की सहायता के साथ परिणामिक रूप में स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई है। जो कि न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C के अंतर्गत आती है। उपरोक्त सहायता प्राप्त करने के लिये वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C के अनुसार न्यायशुल्क की गणना कर न्यायशुल्क अदा करना था।
- 24— न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C के तहत चाही गयी सहायता के लिये उक्त प्रावधान के अनुसार वादी को ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना होता है उक्त रकम क्या होगी, इसका उल्लेख वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 में स्पष्ट किया गया है। वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 के अनुसार न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C की सहायता प्राप्त करने हेतु न्यायशुल्क की संगणना के लिये अवधार्य मूल्य और अधिकारिता के प्रयोजन के लिये मूल्य एक ही होगा अर्थात् वादी यदि न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C की सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको ईप्सित अनुतोष की रकम का कथन करना होगा और उक्त रकम वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 के अनुसार न्यायालय की अधिकारिता के प्रयोजन के लिये कथित रकम होगी।
- 25— अतः वादी ने यदि न्यायालय की अधिकारिता के लिये मूल्य 10,000/- रुपये निर्धारित किया है, तो वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार वादी को स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के लिये न्यायशुल्क संगणना के लिये राशि 10,000/- रुपये होगी, जिस पर वादी को वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा-8 के अनुसार ही मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था, प्रस्तुत वाद कृषि भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद का मूल्य लगान के बीस गुना पर निर्धारित होना था, परन्तु ऐसा भी वादी के द्वारा न्यायशुल्क की गणना करने के लिये नहीं किया गया। अतः उपरोक्त आधार पर वादी को भूमि के बाजार मूल्य पर न्यायशुल्क भले ही अदा नहीं करना था, परन्तु वादी को न्यायशुल्क अधिनियम एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार वाद मूल्य की गणना कर न्यायशुल्क अदा करना था, जो कि नहीं किया गया। अतः वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया। **जिससे वाद प्रश्न क्रमांक-4 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**
- 26— वादी की ओर से प्रतिदावे के जबाब में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रतिदावा अवधि बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से प्रतिदावा दिनांक-22.08.16 को दिनांक वाद कारण

दिनांक-10.07.2016 का वाद कारण दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है। प्रतिदावे के वाद कारण की गणना वादी के वाद कारण नहीं होती है। बल्कि प्रतिवादी अपना वाद कारण बताकर अपना प्रतिदावा प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा वाद कारण दिनांक से विहित समयावधि में प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 8 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

### सहायता एवं वाद व्यय—

27— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। वहीं प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 भी अभिलेख पर साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना प्रतिदावा साबित करने में सफल नहीं हुये है। अतः उपरोक्त आधार पर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की आज्ञा जारी की जावे।

01:— वादी का वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का प्रतिदावा प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

03:— वादी तथा प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

04:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

